न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 76 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. जगदीश प्रसाद पुत्र आशाराम जाति बलाई निवासी धींगपुर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर। —वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 15.09.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 910 किता 1 कुल रकबा 0.71 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1384 किता 1 कुल रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम धींगपुर पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी का क्रमश 1/40, 1/40 हक हिस्सा है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। उक्त खातेदारी वादी के नाम जोगेन्द्र पुत्र आशाराम जाति बलाई निवासी धींगपुर के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद है। जो निर्वाचन फोटो पहचान—पत्र परिवार राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम जगदीशप्रसाद की जगह जोगेन्द्र दर्ज हो गया है जो गलत है। जोगेन्द्र की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद उद्धोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। इसलिए दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा बाबत दुरूस्ती व उद्घोषणा राजस्व रिकार्ड पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 910 किता 1 कुल रकबा 0.71 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1384 किता 1 कुल रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम धींगपुर पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी का नाम जोगेन्द्र को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जगदीश प्रसाद संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावें।
2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

आग्रह किया गया कि वादी का नाम जोगेन्द्र को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जगदीश प्रसाद संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 910 तथा 1384 में आशाराम पुत्र भोमाराम की विरासत के नामान्तकरण के द्वारा प्रार्थी का नाम जोगेन्द्र दर्ज हुआ है तथा नामान्तकरण संख्या 382 दिनांक 07.01.2008 के स्वीकृत होने से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जोगेन्द्र दर्ज है। जबकि स्कूल प्रामण–पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र आशाराम है। अन्य पडोसी खातेदारों से पुछने पर भी लोगों ने जोगेन्द्र के बजाय जगदीश प्रसाद पुत्र आशाराम सही व सत्य खातेदार बताया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धींगपुर पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 910 किता 1 कुल रकबा 0.71 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1384 किता 1 कुल रकबा 1.48 है0 में खातेदार वादी का नाम जोगेन्द्र को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ जगदीश प्रसाद संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिकी जारी हो।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

जगदीश प्रसाद बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 76 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 15.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम **धींगपुर पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 910 किता 1 कुल रकबा 0.71 है0** व **भूमि खसरा नम्बर 1384 किता 1 कुल रकबा 1.48 है0** में खातेदार वादी का नाम जोगेन्द्र को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ जगीशप्रसाद संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2020 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महनताना वकील पर ...		
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़